

मुकेश फर्द अहकाम

बनाम

लालाराम वगै०

यायालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर
 नं० सं० 148/2025

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10.11.2025	अधिवक्ता श्री चन्दन सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्टें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 03.12.2025 को पेश हो।	
	3.12.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकर्त के मात है। अतः पदों आदेशावली दिनांक 7.11.25 को पेश हो।	
	7.1.26	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उत्तरों अधि-भन्नुपरिचित। वादी की याच-याचालय के प्रथम-प्रथम स्वस्मंत्र पर तीन-तीन बार आवाजे लगवायी गयी। बावजूद आवाज लगवाने के उपरांत भी वादी के न्यायालय को हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आरब्या-4 विग्रम-3 प्रा० दी० के तहत अग्रम हाजिरी व अन्तम पेशकी में कारिज की गयी। पत्रावली प्रैलख शुमार होकर नंबर से नम होकर अखिल नंबर दी।	

उपखण्ड अधिकारी
 जोबनेर, जयपुर